

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आई0एल0आर0  
आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

गढ़लाकला गद्दीह्यजी

प्राची का नाम जमाबंदी

त 2075-78 में संवलन से रामसिंह पुत्र झुंवाराम दर्ज हो गया जबकि प्राची का नाम आधार कार्ड पहचान पत्र में रामसिंह पुत्र झुंवाराम दर्ज है जो कि सही करना उचित है।

*[Signature]*  
400

*[Signature]*  
9-10-21

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

4-5-9

क्रमांक : राजस्व/2020/

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाता उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशंका की जाती है / नहीं की जाती है।

760  
21

*[Signature]*

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज.)

आदेश :-

दिनांक :-

प्राची के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दरतावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दस्तावेज के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध-प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
	गढ़लाकला	2075-78	214	रामसिंह पु. झुंवाराम राम जाति जाट	रामसिंह पु. झुंवाराम जाति जाट

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

*[Signature]*  
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :-

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 524-525  
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वारंते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया को सूचनार्थ।



*[Signature]*  
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी